

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

दिनांक : 05-03-2018

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)


विषय :- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 से 10 के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व  
मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटन एवं प्रत्याहरण ।

कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2017 एवं 19.12.2017 के द्वारा लेखामद  
2202-02-107-(05)-[02]- 13-छात्रवृत्ति एवं वजीफा (केन्द्रीय सहायता) के अन्तर्गत आवंटित राशि में  
नीचे लिखे गये कार्यालयों से राशि का प्रत्याहरण एवं आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	आई.डी. क्रमांक	कार्यालय का नाम	जहां से राशि प्रत्याहरित की जानी है।	जहां राशि का आवंटन किया जाना है
01	10196	जिला शिक्षा अधिकारी (मा) जयपुर II	10.03	--
02	13122	जिला शिक्षा अधिकारी (मा) जोधपुर I	25.95	--
03	6452	जिला शिक्षा अधिकारी (मा) अलवर I	66.12	--
04	14800	जिला शिक्षा अधिकारी (मा) सिरौही	--	22.08
05	21402	जिला शिक्षा अधिकारी (मा) चित्तौड़गढ़	--	8.48
06	2735	जिला शिक्षा अधिकारी (मा) श्रीगंगानगर	--	72.00
		<b>कुल</b>	<b>102.10</b>	<b>102.56</b>

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशनुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत ही किया जावे।
2. उक्त आवंटित राशि का आहरण आवंटित राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावे।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जारी किए जावें।
4. **छात्रवृत्ति की राशि का आहरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि का वितरण आईएफएमएस के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में किया जाना सुनिश्चित करें।**
5. राशि आहरण अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करें।

  
द्वितीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
6. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

~~लेखाधिकारी~~